2017/00

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या– 84 / 2017
जयश्रीराम पुत्रश्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी रसीलपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा
– – – – वादी

बनाम

1--रामशरण पुत्रश्री मोहरसिह 2–जयपाल 3–अतिवीर पुत्रगण महाराजसिह जातिगण गुर्जर निवासीगण रसीलपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा
10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
– – – – प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एंव स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 अीटीए

उपस्थिति –1–श्री सुरेन्द्र दुबे एडवोकेट .... (वादी)
2–श्री सुनीलकुमार परमार एडवोकेट..........(प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक 13.06.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 20.02.2017 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 7, 10 स्थित वाके ग्राम चन्दुपुरा तहसील सेपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये एंव बटवारा कराने का निवेदन किया तथा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 06.02.2019 को दावा प्रारंभिक रूप से डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांकःराजस्व / 2019 / 245 दिनांक 29.05.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम चन्दुपुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

जयश्रीराम पुत्रश्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी रसीलपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	10/1	0.09	1.44
योग	1	0.09	1.44

2. रामशरन पुत्र मोहरसिह हि0 16/23, अतिवीर पुत्र महाराजसिह हि0 7/23 कौम गुर्जर निवासीगण रसूलपुर तहसील खेरागण जिला आगरा

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	10/2	1.03	3.68
योग	1	1.03	3.68

3. रामशरन पुत्र मोहरसिंह हि0 3/34 अतिवीर पुत्र महाराजसिंह हि0 19/68 जयपाल पुत्र महाराजसिह हि0 15/68 जाति गुर्जर निवासी रसुलपुर, शारदा पत्नी रामनिवास, प्रभाशर्मा पत्नी लवकुश, कुसमा पत्नी मनोंज हि0 14/34 जातित ब्राहमण सा0 देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	7	1.14	2.55
योग	1	1.14	2.55

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ